

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2705
19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

झींगा पालन और जलीय कृषि का संवर्धन

2705. श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने विशेष रूप से हरियाणा में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत झींगा पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट परियोजनाएं या पहल लागू की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने हरियाणा में झींगा उत्पादन पर पीएमएमएसवाई के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन या अध्ययन किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान विशेष रूप से हरियाणा में पीएमएमएसवाई के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ङ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रु/- के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र झींगा पालन है और मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लवणता प्रभावित क्षेत्र में झींगा पालन किया जाता है। पीएमएमएसवाई के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण झींगा उत्पादन, प्रजातियों के विविधीकरण, निर्यात-उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग, मानकों और प्रमाणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण आदि में सहायता करता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत हरियाणा राज्य में लवणीय जलीय कृषि के लिए कुल 2050 हेक्टेयर लवणीय प्रभावित क्षेत्र को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट किया है कि विगत तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए 169.20 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और इसमें से 138.22 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग राज्य में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए किया गया है।
